

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

तारंककत प्रश्न ङ : * 100
07 , 2020 प्रश्न त्त

जन स्वास्थ्य पर व्यय

*100.

श्रृं f

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या देश म सकल घरेलू उत्पाद को तुलना म स्वास्थ्य परिचया पर व्यय वैश्विक दृष्टि से न्यूनतम म से ँक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षां म प्रत्येक वष के दौरान स्वास्थ्य परिचया पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय क्रिया गया;

(ख) क्या सरकार का वष 2025 तक जन स्वास्थ्य पर व्यय को धीरे-धीरे बढ़ा कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक करने संबंधी रूपरेखा को अंतिम रूप देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इस योजना को वतमान स्थिति क्या है;

(ग) देश म सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य परिचया पर किए जा रहे प्रति व्यक्ति व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश म विशेषकर गरीबों को मुफ्त/सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई काय योजना बनाई गई है/बनाए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षां के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों सहित स्वास्थ्य परिचया क्षेत्र को सुदृढ बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या आवश्यक कदम उठाए गए हो और इसके क्या परिणाम रहे है?

त

र स्थ और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हषबंधन)

(क) से (ङ.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के वष 2017 के लिए वैश्विक स्वास्थ्य व्यय के डाटाबेस (जीएचईडी) के अनुसार 184 देशों म भारत को रक 166वों (घरेलू सामान्य सरकारी स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को प्रतिशतता के रूप म) है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत म स्वास्थ्य पर सामान्य सरकारी (केन्द्र और राज्य) व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप म निम्नानुसार है:

वष	जीडीपी को प्रतिशतता के रूप म स्वास्थ्य पर सामान्य सरकारी व्यय
2019-20	1.6%
2018-19	1.5%
2017-18	1.4%
2016-17	1.4%
2015-16	1.3%

(ख) राष्ट्रीयस्वास्थ्य नीति, 2017 म वष 2025 तक जन स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाकर जीडीपी को 2.5 प्रतिशत तक करने को परिकल्पना को गई है।

वष 2018-19 म, सरकार के गरीब और ग्रामीण परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत आय कर और कापरिशन कर पर 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घोषित किया है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा निधियन एजसी(एचईएफए) के चिकित्सा संस्थानों के अवसंरचनात्मक कार्यों को सहायता देना प्रारंभ कर दिया है।

बजट 2020-21 म, प्रस्ताव किया गया है कि चिकित्सा उपकरणों के आयात पर 5 प्रतिशत का स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा और स्वास्थ्य उपकर को प्रणिताओं का प्रयोग स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमानों के अनुसार वष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (नवीनतम उपलब्ध)के दौरान प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय (सरकारी+निजी) और प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय निम्नानुसार है:

प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय (रूपए म)

वष	प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय	प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्यव्यय
2013-14	3638	1042
2014-15	3826	1108
2015-16	4116	1261
2016-17	4381	1418

(घ) और (ड.) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, राज्यों म स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, समग्र रूप से जनसंख्या के स्वास्थ्य नतीजों म सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार के देश भर म सस्ती स्वास्थ्य परिचया सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए ह।

उठाए प्रमुख कदम इस प्रकार ह:- आयुष्मान भारत का आरंभ जिसके दो घटक ह: i) व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया प्रदान करने के लिए देशभर म स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों को स्थापना करना और ii) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसम लगभग 10.74 करोड़ निधन और कमज़ोर परिवारों को प्रतिवष प्रति परिवार 5.00 लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से भारत सरकार विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों म सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों म जाने वाले सभी व्यक्तियों को अभिगम्य, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचया प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सरकारों के प्रयासों को अनुपूरक सहायता प्रदान करती है। एनएचएम के अंतगत सहायता मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सावभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और संचारी व गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण से जुड़ी अनेक निःशुल्क सेवाओं के प्रावधानकेलिए भी प्रदानको जाती है। एनएचएम के तहत आगे निःशुल्क औषधियां और निःशुल्क डायग्नॉस्टिक (नैदानिक) सेवा संबंधी पहलों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है तार्किकसरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों म आवश्यक औषधियां, नैदानिक और डायलिसिस सेवाएं प्रदान को जा सक।

हाल ही के वर्षों म सरकारी अस्पतालों म सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। 21 नए एम्स को भी मंजूरी दी गई है। गरीब नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं म सुधार लाने के लिए जिला अस्पतालों का उन्नयन करके 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एनएचएम के तहत प्रदत्त निधियों का उपयोग करते हुए सरकारी अस्पतालों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा निधन नागरिकों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है।

